# HRCI en USUA The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] No. 33] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 8, 2008/पौष 18, 1929

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 8, 2008/PAUSA 18, 1929

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2008

का.आ. 45(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1687(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 2007 द्वारा घरेलू उपयोग के सिवाय कृषि में डियाजिनोन के उपयोग की पाबंदी के लिए प्रारूप आदेश प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अविध की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे:

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां, 1 अक्तूबर, 2007 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं:

और, उक्त प्रारूप आदेश के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

## आदेश

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम डियाजिनोन के प्रयोग पर निर्वंधन आदेश, 2007 है ।
  - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

- (1) कोई व्यक्ति डियाजिनोन का घरेलू उपयोग सिवाय कृषि में उपयोग नहीं करेगा ।
  - (2) रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के सभी धारक, लेबलों और पत्रकों पर स्पष्ट अक्षरों में "कृषि उपयोग पर पाबंदी" की चेताबनी को सम्मिलित करने के लिए रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रिजस्ट्रीकरण समिति को वापस करेंगे।
    - (3) यदि कोई व्यक्ति, जो रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक है, खंड (2) में निर्दिष्ट रिजस्ट्रीकरण समिति को, छह मास की अवधि के भीतर प्रमाणपत्र लौटाने में असफल रहता है तो उनको प्रदत्त रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण नहीं किया जाएगा या उक्त अधिनयम की धारा 14 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
- प्रत्येक राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे उपाय करेगी, जो इस आदेश के निष्पादन के लिए वह आवश्यक समझे ।

फा. सं. 17-62/2006/पीपी-1]

डा. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2008

S.O. 45(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), published a draft Order to ban the use of Diazinon in Agriculture except for house hold use *vide* notification of

(1)

the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) number S.O. 1687(E) dated the 1st October, 2007 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty five days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 1st day of October, 2007;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft Order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 read with Section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

#### ORDER

- (1) This Order may be called the Restriction on Use of Diazinon Order, 2007.
  - It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- (1) No person shall use Diazinon in agriculture except for household use.
  - (2) All the holders of certificate of registration shall return the certificate of registration to the Registration Committee for incorporation of the warning in bold letters "Banned for use on Agriculture" on labels and leaflets.
  - (3) If any person who holds the certificate of registration fails to return the certificate to the Registration Committee, referred to in clause (2), within a period of six months, the certificate of registration granted to them shall not be renewed or action shall be taken under Section 14 of the said Act.
- Every State Government shall take all such steps under the provisions of the said Act and the rules made thereunder, as it considers necessary for the execution of this Order in the State.

[F. No. 17-62/2006/PP-I]Dr. W.R. REDDY, Jt. Secy.

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2008

का.आ. 46(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1688(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 2007 द्वारा टिङ्डी नियंत्रण, घरेलू और लोक स्वास्थ्य के सिवाय कृषि में फेन्थीओन के उपयोग की पाबंदी का प्रारूप आदेश प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से.

जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अविध की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे:

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां, 1 अक्तूबर, 2007 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं:

और, उक्त प्रारूप आदेश के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

## आदेश

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम फेन्थीओन के उपयोग पर निर्वंधन आदेश, 2007 है।
  - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- (1) कोई व्यक्ति फेन्थीओन का टिड्डी नियंत्रण, घरेलू और लोक स्वास्थ्य में उपयोग के सिवाय कृषि में उपयोग नहीं करेगा ।
  - (2) रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के सभी धारक, लेबलों और पत्रकों पर स्पष्ट अक्षरों में "कृषि उपयोग पर पाबंदी" की चेतावनी को सम्मिलित करने के लिए रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रिजस्ट्रीकरण समिति को वापस करेंगे ।
  - (3) यदि कोई व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक है, खंड (2) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण समिति को, छह मास की अवधि के भीतर प्रमाणपत्र लौटाने में असफल रहता है तो उनको प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण नहीं किया जाएगा या उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
- उसके राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे उपाय करेगी, जो इस आदेश के निष्पादन के लिए वह आवश्यक समझे।

[फा. सं. 17-62/2006/पीपी-1]

डा. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2008

S.O. 46(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), published a draft Order to withdraw the use of Fenthion in Agriculture except for locust control, household and public health *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture

and Cooperation) number S.O. 1688(E) dated the 1st October, 2007 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty five days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 1st day of October, 2007;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft Order:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 read with Section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

#### ORDER

- (1) This Order may be called the Restriction on Use of Fenthion Order, 2007.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- (1) No person shall use Fenthion in agriculture except for locust control, household and public health.
  - (2) All the holders of certificate of registration shall return the certificate of registration to the Registration Committee for incorporation of the warning in bold letters "Banned for use on Agriculture" on labels and leaflets.
  - (3) If any person who holds the certificate of registration fails to return the certificate to the Registration Committee, referred to in clause (2), within a period of six months, the certificate of registration granted to them shall not be renewed or action shall be taken under Section 14 of the said Act.
- Every State Government shall take all such steps under the provisions of the said Act and the rules made thereunder, as it considers necessary for the execution of this Order in the State.

[F. No. 17-62/2006/PP-I] Dr. W.R. REDDY, Jt. Secy.

# अधिसचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2008

का.आ. 47( अ ).—केन्द्रीय सरकार ने, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1689(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 2007 द्वारा मैटाजिरोन के उपयोग की वापसी के लिए प्रारूप आदेश प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों सं, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख सं,

जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अविध की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां, 1 अक्तूबर, 2007 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं:

और, उक्त प्रारूप आदेश के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

## आदेश

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मैटाजिरोन की वापसी आदेश, 2007 है ।
  - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।
  - (3) रिजस्ट्रीकरण सिमिति, सभी रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों से, जिसके अंतर्गत नए रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति भी हैं, मैटाजिरोन के लिए अनुदत्त रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों को वापस ले लेगी ।
  - (4) यदि कोई व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक है, खंड (3) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण समिति को, छह मास की अवधि के भीतर प्रमाणपत्र लौटाने में असफल रहता है तो उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
- 2. प्रत्येक राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सभी ऐसे उपाय करेगी, जो राज्य में इस आदेश के निष्पादन के लिए वह आवश्यक समझे ।

[फा. सं. 17-62/2006/पीपी-1]

डा. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2008

S.O. 47(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), published a draft Order to withdraw the use of Metoxuron vide notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) number S.O. 1689(E) dated the 1st October, 2007 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty five days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 1st day of October, 2007;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft Order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 read with Section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

#### ORDER

- (1) This Order may be called the Withdrawal of Metoxuron Order, 2007.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
  - (3) The Registration Committee shall call back the certificates of registration granted for

Metoxuron from all registrants including new registrants.

- (4) If any person who holds the certificate of registration fails to return the certificate to the Registration Committee, referred to in clause (3), within a period of six months action shall be taken under Section 14 of the said Act.
- Every State Government shall take all such steps under the provisions of the said Act and the rules made thereunder, as it considers necessary for the execution of this Order in the State.

[F. No. 17-62/2006/PP-I]

Dr. W.R. REDDY, Jt. Secy.